

Hindi Update on nullifying the decision of court by way of retrospective amendment

कई बार ऐसा होता है की Assesse, डिपार्टमेंट से Tribunal या High Court मे केस जीत जाता है, परंतु सरकार कानून मे Retrospective Amendment करके Tribunal या High Court का निर्णय पलट देती है। पूर्व मे सरकार द्वारा वादा किया गया था की Retrospective Amendment नहीं किया जाएगा, परंतु सरकार का ये वादा GST युग मे भी नहीं निभा पायी। चलिये सरकार द्वारा किए गए कुछ Retrospective Amendment को समझते है-

“आप एंड कंपनी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया” के केस मे गुजरात High Court ने GSTR-3B को की सीजीएसटी एक्ट, 2017 के Section 39 के तहत रिटर्न नहीं माना क्योंकि इस Section के अंतर्गत GSTR-3 रिटर्न की परिभाषा मे आता, जो की अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इसलिए वर्ष 17-18 के लिए ITC लेने की समय सीमा Annual Return फ़ाइल करने तक है। परंतु सरकार ने सीजीएसटी रूल्स, 2017 के Rule 61(5) मे Retrospective Amendment करते हुए GSTR-3B को रिटर्न का माना है तथा यह कहा है कि Taxpayer को GSTR-3 फ़ाइल करने की जरूरत नहीं है।

“BRAND EQUITIES TREATIES LIMITED के केस High Court ने सभी Assessess जो की अपना Tran-1 तय समय सीमा मे नहीं भर सके, उनको 30 जून, 2020 तक electronic या manually फ़ाइल करने की मोहलत दी। High Court ने निर्णय दिया कि संविधान के आर्टिकल 300A के तहत Taxpayer के यह अधिकार है की वह Transitional क्रेडिट को जीएसटी मे Carry forward कर सके और अगर Taxpayer ऐसा नहीं कर सकता तो यह UNCONSTITUTIONAL होगा। High Court के इस निर्णय के बाद सरकार ने नोटिफ़िकेशन नंबर 43/2020 जारी कर सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 140 मे Retrospective Amendment करते हुए समय सीमा को 18 मई, 2020 कर दिया।

उपरोक्त दोनों मामलो मे सरकार ने Retrospective amendment करते हुए Taxpayer से High Court द्वारा दिये गए लाभ को छिन लिया है। हमारे भी एक Client के केस मे तकनीकी समस्या के कारण TRAN-1 तय समय सीमा से लेट फाइल हुआ, जिससे Client को लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान हो गया क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमने High Court मे Writ Petition के द्वारा TRAN-1 से क्रेडिट को Claim किया, हालांकि यह केस अभी तक High Court मे पेंडिंग है।

अब यह मुद्दा है कि RETROSPECTIVE AMENDMENT सरकार किसी भी हाईकोर्ट के निर्णय को बदल सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने काफी सारे निर्णय देकर यह स्थापित कर दिया है कि LEGISLATURE के पास में RETROSPECTIVE AMENDMENT करने की POWER है तथा वह कोर्ट द्वारा बताई गई किसी भी गलती को पिछली तारीख से ठीक कर सकता है। इसीलिए SECTION 140 में किया गया RETROSPECTIVE AMENDMENT सही प्रतीत होता है क्योंकि इस केस में हाईकोर्ट ने कहा था कि RULE 117 में सरकार ने समय सीमा लगाई थी परंतु ऐसी कोई समय सीमा सेक्शन 140 में नहीं थी। इस तरह से RULE 117 सेक्शन 140 से भी आगे जाकर प्रावधान ला रहा था जोकि ULTRA VIRES है। इस प्रकार से सेक्शन 140 की DRAFTING में गलती रह गई थी,

उसे सरकार में सुधार दिया है। यहां यह बताना भी उपयुक्त होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस निर्णय में एक और ANALOGY ली है कि CREDIT एक SUBSTANTIAL RIGHT है और इसे PROCEDURAL MISTAKE के कारण वापस नहीं लिया जा सकता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं तथा इस अपडेट में हम सिर्फ सरकार द्वारा किए गए RETROSEPTIVE AMENDMENT की ही विवेचना कर रहे हैं।

परंतु दूसरी तरफ हम देखे तो “AAP & COMPANY” यह निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा था कि GSTR-3B एक रिटर्न नहीं है क्योंकि सरकार ने पहले यह बताया था कि GSTR-1, GSTR-2 AND GSTR-3 ही रिटर्न है। सेक्शन 39(1) के तहत भी GSTR-3 एक रिटर्न है। CIRCUALR 7/7/2017-GST DATED 1.9.2017 द्वारा भी सरकार ने बताया था कि GSTR-3B को फाइल करते वक्त जो भी गलतियां हुई है उसे आप GSTR-1 और GSTR-2 को फाइल करते हुए सही कर सकते हैं तथा यह अपने आप GSTR-3 में सही हो जाएगी। परंतु बाद में पोर्टल की विफलता के कारण GSTR-2 और GSTR-3 फाइल ही नहीं हो पाए तथा सरकार को GSTR-3B से ही काम चलाना पड़ा। इन सब को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया कि GSTR-3B एक रिटर्न नहीं है तथा SECTION 16(4) में दी गई समय सीमा GSTR-3B को रिटर्न मानकर निर्धारित नहीं की जा सकती है। परंतु सरकार ने RETROSPECTIVE AMENDMENT से GSTR-3B को एक रिटर्न मान लिया। अब इस केस में यह सोचने लायक बात है कि क्या सरकार किसी भी प्रावधान को RETROSEPTIVE AMENDMENT से बदलकर किसी भी निर्णय को खत्म कर सकती है? इस अपडेट के लेखक के मत में RETROSPECTIVE AMENDMENT सिर्फ उस स्थिति में किया जा सकता है जब किसी गलती को ठीक करना हो। परंतु जब कोई प्रावधान शुरू से ही सही हो तथा उसकी DRAFTING में कोई गलती ना हो तथा यह प्रावधान सरकार की इच्छा के अनुरूप ही हो तो उसको पिछली तिथि से बदला नहीं जा सकता है। अब यह प्रश्न हमारे पाठकों पर छोड़ते हैं कि वह इस बारे में अपना मत प्रकट करें।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>.